

न्यायालय:- न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चन्देरी जिला-अशोकनगर
(पीठासीन अधिकारी:-जफर इकबाल)

फाइलिंग नंबर 235103003602016

दांडिक प्रकरण क.-531 / 16

संस्थापित दिनांक-30.11.16

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा :- आरक्षी केन्द्र चन्देरी जिला अशोकनगर । <div style="text-align: right;">.....अभियोजन</div>	
विरुद्ध	
01-रंजीत अहिरवार पुत्र रवि प्रकाश अहिरवार उम्र 18 साल निवासी पटकुइया मोहल्ला चंदेरी अशोकनगर । <div style="text-align: right;">.....आरोपी</div>	
राज्य द्वारा	:- श्री सुदीप शर्मा, ए.डी.पी.ओ. ।
आरोपी द्वारा	:- श्री ए के भार्गव अधिवक्ता ।

-: निर्णय :-

(आज दिनांक 06.04.2017 को घोषित)

- 01- आरक्षी केन्द्र चन्देरी, जिला अशोकनगर द्वारा आरोपी के विरुद्ध यह अभियोग पत्र अंतर्गत भा.द.वि. की धारा 354, 323 के विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया ।
- 02- प्रकरण में आरोपी की गिरफ्तारी व पहचान स्वीकृत तथ्य है ।
- 03- प्रकरण में उल्लेखनीय है कि आरोपी का फरियादी से राजीनामा हो गया

है जिसके फलस्वरूप आरोपी को भादवि की धारा 323 के आरोप से दोषमुक्त किया जा चुका है। यह निर्णय भादवि की धारा 354 के संबंध में पारित किया जा रहा है।

04— अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि मामले की फरियादी दीपा चंदेल ने दिनांक 02.11.16 को आरक्षी केंद्र चंदेरी में इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि घटना दिनांक को शाम साढ़े 6 बजे वह पटकुईया बाबड़ी पर पानी भरने गई थी तभी मोहल्ले का रंजीज अहिरवार आया और जैसे ही वह पानी की कटटी भरकर जा रही थी कि पीछे से रंजीत अहिरवार ने पीछे से उसे बुरी नीयत से पकड़ लिया और उसका दोनों तरफ सीना दबा दिया। वह चिल्लाई तो जेठ का लडका सोनू और गोलू आ गए जिन्हें देखकर आरोपी वहां से भाग गया। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 527/16 के अंतर्गत भादवि की धारा 354, 323 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई एवं विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

05— प्रकरण में आरोपी के विरुद्ध भा.द.वि. की धारा 354, 323 के अंतर्गत अपराध रचित कर विचारण प्रारंभ किया गया। प्रकरण में आई साक्ष्य की प्रकृति को देखते हुए आरोपी का धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत परीक्षण नहीं किया गया।

06— प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :—

1. क्या आरोपी ने दिनांक 02.11.16 को समय 18.30 बजे पटकुईया मोहल्ला की बाबड़ी पर फरियादिया दीपा चंदेल जो कि एक स्त्री है, उसकी लज्जा भंग करने के आशय से उसे पकड़कर तथा दोनों तरफ सीना दबाकर आपराधिक बल का प्रयोग किया ?

—:: सकारण निष्कर्ष ::—

07— अभियोजन ने अपने पक्ष के समर्थन में अ.सा. 01 दीपा चंदेल, अ.सा. 02

नरेंद्र चंदेल, अ.सा. 03 सोनू की मौखिक साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है।

08— अभियोजन साक्षी 01 दीपा चंदेल ने अपने कथन में बताया है कि वह आरोपी को जानती है। उक्त साक्षी के अनुसार घटना दिनांक को वह बाबडी पर पानी भरने गई थी जहां उसका आरोपी से झगडा हो गया था। उक्त साक्षी के अनुसार उसने आरोपी के विरुद्ध प्रपी 01 की रिपोर्ट लेखबद्ध करा दी थी तथा पुलिस ने नक्शामौका प्रपी 02 बनाया था। उक्त साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि आरोपी ने उसे बुरी नीयत से पकड लिया था। उक्त साक्षी के अनुसार गाली गलौच एवं कहासुनी हुई थी। अ.सा. 01 ने पुलिस कथन प्रपी 04 तथा पुलिस रिपोर्ट प्रपी 01 का बी से बी भाग लिखाने से इंकार किया है। उक्त साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि आरोपी ने उसके साथ छेडछाड की घटना की थी। अ.सा. 02 नरेंद्र ने भी अपने कथन में बताया है कि घटना दिनांक को उसकी पत्नी का आरोपी से लडाई झगडा हो गया था। उक्त साक्षी ने भी इस बात से इंकार किया है कि आरोपी ने बुरी नीयत से उसकी पत्नी को पकडा था। उक्त साक्षी ने पुलिस कथन प्रपी 05 देने से इंकार किया है।

09— अ.सा. 03 सोनू जो कि घटना का चक्षुदर्शी साक्षी है ने अपने कथन में बताया है कि फरियादिया ने उसे बताया था कि उसका आरोपी से झगडा हो गया है। उक्त साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि घटना दिनांक को आरोपी ने फरियादिया को पकडा था। उक्त साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि फरियादिया ने उसे यह बताया था कि आरोपी ने उसे बुरी नीयत से पकडा है। उक्त साक्षी ने पुलिस कथन देने से इंकार किया है। अभियोजन द्वारा उपरोक्त साक्षीगण के अतिरिक्त अन्य किसी साक्षी की साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि न केवल घटना के चक्षुदर्शी साक्षी, बल्कि मामले की फरियादिया भी पक्षद्रोही हो गए हैं। एक भी साक्षी ने अपने कथन में यह नहीं बताया है कि उक्त घटना दिनांक को आरोपी द्वारा फरियादिया को बुरी नीयत से पकडकर उस पर आपराधिक बल का प्रयोग किया था।

10— उपरोक्त समग्र विवेचन के प्रकाश में यह निष्कर्ष दिया जाता है कि अभियोजन अपना मामला प्रमाणित करने में असफल रहा है। परिणामतः आरोपी को भादवि की धारा 354 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

11— आरोपी के जमानत मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।

12— प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति कुछ नहीं है।

13— आरोपी अनुसंधान एवं विचारण के दौरान न्यायिक अभिरक्षा संबंधी धारा 428 द.प्र.स. का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत
हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(जफर इकबाल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

(जफर इकबाल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)